

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1806**  
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025  
19 फाल्गुन, 1946 (शक)  
**झारखंड और गुजरात में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र**

**1806. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:**

**श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने कुल 24 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) स्थापित किए हैं, जबकि झारखंड और गुजरात राज्यों में ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या झारखंड और गुजरात उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का भविष्य में उक्त राज्यों में उक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**  
**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (ङ): जी हां। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने गुजरात राज्य में 01 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) सहित देश भर में 24 एनसीओई स्थापित किए हैं। वर्तमान में एनसीओई की स्थापना के लिए कोई पूर्वनिर्धारित मानदंड नहीं हैं। इसके अलावा, झारखंड राज्य में एनसीओई नहीं है और एनसीओई की स्थापना के लिए झारखंड राज्य से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*